वित्तीय स्वीकृति

संख्या-16/2017/894/52-3-17-बजट(6)/2017

प्रेषक,

वैभव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□ में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में □□□□□ प्राप्त अर□□ □□□□ मदरसों □□शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों क□ □□□□ □□ आदि □□□□□□ की वित्तीय स्वीकृति वे□□□□ में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□पत्र □0-723/□0□0□0□□0-52/□□□/□□□-प्रा0वि0/ 2017-18, दिनांक 27.05.2017 □□□ पत्र □0-788/□0□0□0□□0-2016/□□□/□□0□□□/ 2017-18, दिनांक 01.06.2017 □□ □□□□ संदर्भ ग्रहण □□□□□ कष्ट करें।

2. □□ □□□ में □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□कि वित्त (3□□ व्ययक) □□0-1 □□ कार्यालय ज्ञाप □0-1/2017/□□-1-02/□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 □□प्रस्तर-2(7) में दी □□□ व्यवस्था □□□□□□ □□□□□ प्राप्त □□□□ □□□□ मदरसों □□शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के □□□□ वेतनादि □□ □□□□ □□□वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□□ स्वीकृत □□□□□□ □□ सापेक्ष प्रथम □□ माहों □□ □□□ वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये □□□□□□ राजस्व पक्ष में प्राविधानित धन□□□□ रू0 45434.11 □□ □□ □□□□□□ व्यय □□ 5/12□□ □□ रू0 18930.87 □□ स्वीकृत □□□□□□□निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के □□□□ □□□□ निवर्तन पर □□□□□□की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की □□□□ हैं:-

(1) □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ आवश्यकता □□□□□□ किया □□□□ □□□ □□□□□□ □□ आहरित □□ बैंक/□□□ □□ में □□□ नहीं किया □□□□□

(2) □□□ □□स्वीकृत □□□□□□ □□□□□□ □□□□ द्वारा अनुमोदित पदों □□□□□ आदि □□ ही □□□□□ किया □□□□□□ किसी □□ □□□ में उक्त □□□□□□ □□किसी अन्य □□ में पुनर्विनियोग नहीं किया □□□□□

(3) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□ सापेक्ष व्यय □□□□□□ □□ विवरण/□□□□□□□□ प्रमाण-पत्र □□□□ □□ 31 अगस्त, 2017 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□□

(4) □□□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार □□व्यय □□□□□□ □□□□□ नहीं □□□ □□ जिन मामलों में उत्तर प्रदेश □□□ □□□□ □□ वित्तीय नि□□ संग्रहों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

□□□ स्थायी आदेशों □□ अन्तर्गत राज्य □□□□/केन्द्र स□□□ □□□□ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की □□□ आवश्यक □, □□ मामलों में व्यय □□□□□ पूर्व □□ स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर □ □□□

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति □ शर्त □□□□□ प्रदान की □□□ □□कि □□□□□/ रजिस्ट्रार द्वारा □□□□ मदरसों □ □□□□ की □□□□□ □□□ निर्गत की □□□□, □□ □□ □□□□□□□□□ में □□□□/शासनादेशों □□ अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के□□□□ समस्त मानकों की पूर्ति सं□□ प्राविधानों के अ□□□□ की स्थिति से संतुष्ट □□ लेंगे।

2- उक्त □□ □□□□□□ व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक □□ □□□□ संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय- 03-अरेबिया पाठ्शालाओं □ □□□□-31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) □□□□□ □□□ □□□□□

3- □□ □□□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/ □□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अ□□ निर्गत किये □ □□ हैं।

भवदीय,

(□□□ श्रीवास्तव)
विशेष □□□

<u>संख्या-894(1)/52-3-17-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हेतु□प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं□लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, उ0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (अ□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड एवं□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-1

7- कम्प्यूटर □ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

आज्ञा □,

(दीना □□)
□□ □□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।